FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE INDIA
TEN RUPEES दस रुपये COURT FEE INDIA

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

A-2200-II/05

गनेशप्रसाद तनय श्री हीरालाल केशरवानी
निवासी जवाहरगंज वार्ड, सागर म.प्र. -- अपीलांट

॥ विरुद्ध ॥

1- म.प्र. शासन द्वारा- उप पंजीयक महोदय
तहसील व जिला सागर म.प्र.

2- कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक महोदय,
तहसील व जिला सागर म.प्र.

3- श्रीमति शिवरानी बेवा लालसींग गौर
निवासी गोपालगंज वार्ड सागर
द्वारा कारंदा आम श्री दीपेन्द्र सिंह गौर तनय श्री डॉक्टर
बी.एस. गौर, निवासी छतरपुर म.प्र. -- रिस्पा0

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47 स्टाम्प एक्ट

उपरोक्त अपीलांट न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक-296बी-105 वर्ष 2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 18/10/2005 से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील निम्न प्रमुख व अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है-

1- यह कि, विचारण न्यायालय के प्रकरण की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही है। क्रेता व विक्रेता को नोटिस की तामीली विधिवत नहीं रही और क्रेता के भाई की उपस्थिति मान्य की जाना भी त्रुटिपूर्ण है व बाद में क्रेता अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाना त्रुटिपूर्ण है जबकि कानून यह है कि कोर्ट रीडर द्वारा सुनवाई तिथि बढ़ाई जा सकती है उसके द्वारा आदेशात्मक नहीं लिखा जा सकता कि प्रकरण उत्तर हेतु, साक्ष्य हेतु या तर्क हेतु नियत किया जाता है इसी प्रकार बढ़ाई गई तारीख की भी पुनः सूचनापत्र पक्षकार को दिये जा

श्री अजय श्रीवास्तव ... द्वारा प्रस्तुत। अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)
8 नवम्बर NOV 2005

A2200-II/05   [illegible]

25-10-17	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभि. प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते अतः आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण नॉट प्रेस में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्र० सदस्य

... साक्ष्य हेतु या तर्क हेतु नियत किया जाता है इस...